न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 112/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. **आतम पुत्र हरगण** 2. **खरता पुत्र हरगण** 3. **मेवाराम पुत्र हरगण** (सभी जाति मेघवाल, निवासी रामसर, तह0 रामसर, जिला बाडमेर)		1. **देवाराम पुत्र जैराम** 2. **भैराराम पुत्र जैराम** 3. **लूणाराम पुत्र जैराम** 4. **हुरीदेवी पत्नी जैराम** 5. **धनीदेवी पत्नी जुगता** 6. **बलवन्ताराम पुत्र जुगता** 7. **नायकाराम पुत्र ईब्राहिम** 8. **पताराम पुत्र ईब्राहिम** 9. **बागाराम पुत्र ईब्राहिम** 10. **बाबूराम पुत्र ईब्राहिम** 11. **मामुराम पुत्र ईब्राहिम** 12. **लीलादेवी पत्नी भैराराम** 13. **प्रेमाराम पुत्र अमराराम** (सभी जाति मेघवाल निवासी पाबूदान सिंह की ढाणी, तहसील रामसर जिला बाडमेर) 14. **राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामसर, जिला बाडमेर**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रामसर, राजस्व आवेदन संख्या 11/2022 दिनांक 03.03.2023

उपस्थित–
1. श्री लाधूराम पूनिया, वकील अपीलाण्ट
2. श्री प्रदीप चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 13
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 14

निर्णय

दिनांक 16.04.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 13 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर तहसील रामसर के ग्राम पाबुदानसिंह स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 96 रकबा 16.7540 हैक्टर भूमि

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

की नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी करवाने हेतु विप्रार्थी–दयाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विप्रार्थीगण के बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03. 2023 द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रामसर को दोनो पक्षों की उपस्थिति में ख0नं0 96 के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पाबूदानसिंह के खसरा नं0 170/105 पर काबिज एवं खातेदार है, जिसकी पत्थरगढी की हुई है। प्रार्थी–रेस्पो0 जरिये प्रार्थना पत्र व अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की खातेदारी भूमि के बीच की माठ पर नेखमबंदी करवाना चाहते है। जिसमें जानबूझ कर अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाया गया, जबकि अपीलांट्स की सुनवाई आवश्यक थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 13 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि ग्राम पाबुदानसिंह की ढाणी स्थित खसरा नं0 96 की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। मौका फर्द दिनांक 24.02.2022 के अनुसार उक्त खसरा का सीमाज्ञान पडौसी खसरान के खातेदारान से विवाद के कारण संभव नही हुआ। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उस सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पाया गया कि प्रार्थी–रेस्पा0 सं0 1 से 13–देवाराम के आवेदन पर तहसीलदार गुडामालानी के आदेशानुसार मौके पर ग्राम पाबूदानसिंह के खसरा नम्बर 96 की पैमाईश/सीमाज्ञान की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी–रेस्पो0 एवं पडौसी खसरान के खातेदारों के मध्य सीमा संबंधी विवाद के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। अपीलांट्स का कथन है कि प्रार्थी–रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उसे पक्षकार नही बनाया जाने से उसे सुनवाई का अवसर नही मिला, जबकि वह उसका पडौसी खातेदार है, जो कि उचित प्रतीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 11/2022 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.03.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त उल्लेखित खसरान का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं प्रार्थी–रेस्पो0 सं0 1 से 13 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पक्के नेखमबंदी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 16 अप्रेल, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

16.04.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर